फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

केम्प कोर्ट – खेजडी

देवजी जी स्थान अगडपुरा खेडी बनाम बालु पिता खेमा बलाई
निवासी– खेडी

किस्म मुकदमा– वाद पत्र अन्तर्गतग धारा – 88, 92 ए रा.टी. ए.

प्रकरण संख्या– 260/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट खेजडी पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि आराजी मुतदाविया साबिक सेटलमेन्ट सन् 1984 की जमाबन्दी में में श्री देवजी जी स्थान अगडपुरा के नाम दर्ज थी, शिकमी काश्तकार की हैसियत से हांसा पिता बेणा बलाई का नाम दर्ज था, हांसा फौत होने पर राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उंकार ने वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली तथा बाद में अपने भाई खेमा के नाम नामान्तकरण खुलवा लिया, खेमा की मृत्यु के बाद इस समय उसके पुत्र बालु व हरदेव के खातेदारी में भूमि दर्ज रिकार्ड है। अन्त में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी के नाम से हटाई जाकर पुनः श्री देवजी स्थान के नाम दर्ज करवाई जावें। जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 की पुश्तैनी होकर पुरातन समय से हक अधिकारों के साथ प्रतिवादी काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण द्वारा इस आराजी को देवजी स्थान की होना बता रहे है वह गलत है जबकि आराजी रामदेवजी स्थान की होकर पुजारी प्रतिवादी संख्या– 1 से 2 का परिवार पुश्तैनी रुप से सेवा पूजा के साथ काबिज काश्त चला आ रहा है। वादीगण गुर्जर जाति से होकर आराजीयात को हडपना चाहते है। अन्त में कथन किया कि दावा वादी विद् कॉस्ट खारिज फरमाया जावें। मैनें वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है– वादीगण के द्वारा प्रस्तुत महकमें बन्दोबश्त राज्य मेवाड उदयपुर की जमाबन्दी साल 1984 मौजा खेजडी के अनुसार आराजी नम्बर– 354 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि श्री देवजी	

सहायक कलेक्ट
(S. D. O.) गुलाबपु
जिला-भीलवाड़

Scanned by CamScanner

स्थान अगडपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है तथा शिकमी खातेदार की हैसियत से हासा वल्द बेणा बलाई साकिन देह का नाम भी दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

यहॉ वादीगण का कथन है कि श्री देवजी स्थान की भूमि में शिकमी काश्तकार हासा बलाई ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त भूमि अपने नाम करवा ली अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2010–2013, 2014–2017 प्रस्तुत की गई, जमाबन्दी सम्वत् 2010–2013 मौजा खेजडी के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 345 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि उंकार वल्द हासा बलाई के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा जमाबन्दी सम्वत् 2014–2017 के अनुसार आराजी नम्बर– 354, 327/1 किता 2 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा भूमि उंकार वल्द हांसू बलाई के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। पत्रावली पर उपलब्ध भू–प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग के खसरा सम्वत् 2021 मौजा खेजडी के अनुसार साबिक आराजी नम्बर– 354 के नये नम्बर– 541, 542 बनाये जाना तथा हाल राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 मौजा खेडी पटवार हल्का खेजडी के अनुसार वादग्रस्त भूमि 542/2, 542/1 किता 2 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि बालु, हरदेव पिता खेमा बलाई साकिन देह तथा आराजी नम्बर– 541 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि अन्य आराजीयात के साथ ज्वारा, गोपी पिता उंकार, घीसू पिता गोदू, सुगनी बेवा गोदू, बलाई साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

चुँकि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सन् 1984 के अनुसार वादग्रस्त भूमि श्री देवजी जी स्थान देह के खातेदारी की भूमि रही है एवं मन्दिर मूर्ति को नाबालिक शाश्वत माना गया है और इनके हितो की रक्षा करना न्यायालय व सरकार का दायत्वि है । ऐसी स्थिति में न्यायालय यह उचित समझता है कि आराजीयात मुतदाविया मन्दिर देह के पुजारी / सेवा पुजा करनें वाले व्यक्तियों को सुपुर्द नही कर उक्त शासन सचिव / प्रशासनिक सुधार (अनु– 3) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक 6(17) प्र.सु./अनुं0–3/2002 दिनांक 27.05.2017 द्वारा मन्दिर / पूजा स्थलों की उचित व्यवस्था हेतु गठित समिति को सुपुर्द किया जावें। तद्नुसार दावा वादी डिक्री किया जाकर न्यायालय प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुये मौजा खेडी पटवार हल्का खेजडी तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 542/2, 542/1 किता 2 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा तथा आराजी नम्बर– 541 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर भूमि को अराजकीय मन्दिर पूजा स्थल की उचित व्यवस्था हेतु तहसील स्तर पर गठित कमेठी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त कमेठी उपरोक्त वर्णित आराजीयात भूमि के प्रबन्ध काश्त की समुचित व्यवस्था करेगा और प्राप्त होने वाली आय व्यय का ब्यौरा संधारित करेगें । प्राप्त होने

सहायक कलेक्टर
S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

वाली आय को मन्दिर के प्रबन्ध / सेवा / पूजा धार्मिक आयोजनों आदि पर उचित ढंग से लगाना एवं मन्दिर का समुचित विकास पर व्यय किया जायेगा । साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह उक्त वर्णित आराजीयात में किसी भी प्रकार का दखलदांजी न करे न करावें । तद्नुसार डिक्री पर्चो मुर्तिब हो निर्णय की प्रति तहसीलदार हुरडा को वास्ते अग्रिम कार्यवाही प्रेषित की जावें । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट खेजडी पर सुनाई गई ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner